



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/Email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort,

Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

29 मई 2026

**अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण पर वार्षिक मूलभूत
सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर)-1 – मार्च 2026**

आज, रिज़र्व बैंक ने अपने 'वार्षिक मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर)-1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण – मार्च 2026'¹ शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन, 'भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस' (डीबीआईई) पोर्टल² (<https://data.rbi.org.in> होमपेज > प्रकाशन) पर जारी किया। यह प्रकाशन भारत में बकाया बैंक ऋण की स्थिति संबंधी जानकारी प्रदान करता है, जो वार्षिक 'मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर) – 1' प्रणाली के अंतर्गत एससीबी {क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आआरबी) सहित} द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों पर आधारित होती है। इस विवरणी में खाते का प्रकार, संगठन, उधारकर्ता के व्यवसाय/ गतिविधि और श्रेणी, ऋण के उपयोग के स्थान का जिला और जनसंख्या समूह³, ब्याज दर, ऋण सीमा और बकाया राशि संबंधी जानकारी एकत्रित की जाती है। इसके अलावा, अब से इस प्रकाशन में, जिला-स्तर पर व्यक्तियों के बकाया ऋण संबंधी लिंग-वार जानकारी प्रस्तुत करने वाली एक नई डेटा शृंखला को शामिल किया गया है।

मुख्य बातें:


- बैंक ऋण वृद्धि⁴ (वर्ष-दर-वर्ष) एक वर्ष पूर्व के 11.1 प्रतिशत से बढ़कर मार्च-2026 के अंत में 14.1 प्रतिशत हो गई (चार्ट-1)।

¹ मार्च 2025 के लिए एससीबी (आआरबी सहित) द्वारा ऋण संबंधी पिछली वार्षिक बीएसआर-1 शृंखला के परिणाम 30 मई 2025 को आरबीआई की वेबसाइट पर जारी किए गए थे; एससीबी (आआरबी के अलावा) के त्रैमासिक बीएसआर-1 से प्राप्त समुच्चय, दिसंबर 2014 से नियमित रूप से जारी किए जा रहे हैं। तदनुसार, मार्च 2026 का त्रैमासिक प्रकाशन भी वार्षिक बीएसआर-1 मार्च 2026 के साथ जारी किया गया है (वेब-लिंक: - <https://data.rbi.org.in> >होमपेज > प्रकाशन>मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियाँ (बीएसआर)-1 - (त्रैमासिक) - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बकाया ऋण)।

² मार्च 2026 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के लिए पाक्षिक फॉर्म-ए विवरणी (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत संकलित) पर आधारित बैंकिंग समुच्चय, हमारी वेबसाइट (होम>सांख्यिकी>जारी आंकड़े>पाक्षिक> भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण) पर पहले ही प्रकाशित किए गए थे और चुनिंदा प्रमुख बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए मार्च 2026 के लिए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन पर समग्र स्तर का मासिक डेटा भी वेबसाइट (होम>सांख्यिकी> जारी आंकड़े >मासिक> बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन) पर जारी किया गया।

³ बीएसआर के लिए उपयोग किए जाने वाले जनसंख्या समूह मानदंड, जनगणना 2011 के अनुसार, संबंधित राजस्व केंद्र की जनसंख्या के आकार पर आधारित हैं, जहां एससीबी की शाखाएं संचालित हो रही हैं और इन्हें वर्गीकृत किया गया है: क) 'ग्रामीण' (10,000 से कम जनसंख्या), ख) 'अर्ध-शहरी' (10,000 से 1 लाख से कम जनसंख्या), ग) 'शहरी' (1 लाख से 10 लाख से कम जनसंख्या), घ) 'महानगरीय' (10 लाख और उससे अधिक जनसंख्या)।

⁴ बीएसआर-1 के लिए संदर्भ तिथि तिमाही का अंतिम दिन है। तुलना के लिए प्रयुक्त किए गए मार्च 2024 के संवृद्धि के आंकड़े, किसी गैर-बैंकिंग संस्था के किसी बैंक में, 1 जुलाई 2023 से प्रभावी, विलय के प्रभाव के साथ समायोजित किए गए हैं।



- वित्तीय वर्ष 2025-26 के मौद्रिक नीति निर्णयों के क्रम में, 9 प्रतिशत से कम ब्याज दर वाले ऋणों का हिस्सा मार्च 2026 के अंत तक बढ़कर 64.2 प्रतिशत हो गया, जो एक वर्ष पूर्व 43.9 प्रतिशत था।
- सभी जनसंख्या समूहों, अर्थात् ग्रामीण, अर्ध-शहरी, शहरी तथा महानगरीय, की ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) में, मार्च 2026 के अंत तक दोहरे अंकों की वृद्धि के साथ, सतत वृद्धि देखी गई। ऋण प्रदान करने में ग्रामीण, अर्ध-शहरी, शहरी और महानगरीय बैंक शाखाओं की हिस्सेदारी क्रमशः 9.4 प्रतिशत, 14.5 प्रतिशत, 17.9 प्रतिशत और 58.2 प्रतिशत थी।
- निजी क्षेत्र के बैंकों ने मार्च 2026 के अंत तक ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) में 12.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो एक वर्ष पूर्व 9.5 प्रतिशत थी। वहीं, उनके समकक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने हेडलाइन ऋण वृद्धि की तुलना में अधिक ऋण वृद्धि दर्ज की। मार्च 2021 के 1.0 प्रतिशत की तुलना में 1.6 प्रतिशत की वर्धित कुल ऋण हिस्सेदारी के साथ लघु वित्त बैंकों ने उच्च ऋण वृद्धि बनाए रखी।
- मार्च 2026 के अंत तक वैयक्तिक ऋणों⁵ की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) घटकर 12.9 प्रतिशत हो गई जो कि पिछले कई वर्षों के दौरान समग्र ऋण वृद्धि से अधिक होने के बाद, उससे कम हो गई (चार्ट I)। कुल ऋण में, 30.7 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ, व्यक्तिगत ऋणों की हिस्सेदारी प्रासंगिक बनी रही।
- निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र को दिए गए ऋण, कुल बैंक ऋण के एक चौथाई से अधिक थे और मार्च 2026 के अंत तक इनमें 15.5 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) हुई, जो एक वर्ष पूर्व 11.9 प्रतिशत थी।
- कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) मार्च 2026 के अंत तक क्रमशः 14.4 प्रतिशत और 12.0 प्रतिशत तक बढ़ गई, जो एक वर्ष पूर्व क्रमशः 8.1 प्रतिशत और 9.4 प्रतिशत थी। मार्च 2026 के अंत तक कुल बैंक ऋण में इन क्षेत्रों की हिस्सेदारी क्रमशः 12.9 प्रतिशत और 22.4 प्रतिशत थी।
- मार्च 2026 के अंत तक घरेलू क्षेत्र द्वारा उधार में 14.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई। कुल बैंक ऋण में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 58.6 प्रतिशत रही और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वृद्धिशील ऋण में इस क्षेत्र का हिस्सा लगभग तीन-पांचवां रहा।

⁵ वैयक्तिक ऋणों में आवास, शिक्षा, वाहन, व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं और अन्य वैयक्तिक ऋण शामिल हैं।

- मार्च 2026 के अंत तक कुल बैंक ऋण में व्यक्तियों की हिस्सेदारी 47.8 प्रतिशत रही। इस खंड में महिला उधारकर्ताओं की हिस्सेदारी 24.7 प्रतिशत रही, जो एक वर्ष पूर्व 23.8 प्रतिशत थी।
- मार्च 2026 के अंत तक कुल बैंक ऋण में मीयादी ऋणों⁶ का हिस्सा 62.8 प्रतिशत था। मीयादी ऋणों में 10 प्रतिशत से कम ब्याज दर वाले ऋणों का हिस्सा 80.2 प्रतिशत था।

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/352

अजीत प्रसाद
उप महाप्रबंधक (संचार)

⁶मीयादी ऋणों में मध्यम अवधि के ऋण (1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक की अवधि के लिए दिए गए ऋण और अग्रिम) और दीर्घावधि ऋण (3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए दिए गए ऋण और अग्रिम) शामिल हैं।